न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 29/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

सायल		गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये	बनाम	श्री मुबारक पुत्र जुमा
पटवारी हल्का गिराब		जाति मुसलमान निवासी जीणे की बस्ती
		तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु.। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम रतरेड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 731 रकबा 318.02 बीघा में से 1.00 बीघा किस्म गै.म. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 100 अक्षरे सौ [illegible] आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराब को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर [illegible] को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु [illegible] योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को [illegible] बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से [illegible] करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 15/10/19 को सरेआम सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 100/- फसल नि. 5125/-
कुल योग 5225/- जि. के पृष्ठ सं. 34
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

(हस्ताक्षर)